न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेटपरिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2001/00091

मिसल नम्बर–67 / 2001

मदनलाल आत्मज गोपाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.दीनदयाल आत्मज प्रहलाद जाति मेघवाल

2.दयाशंकर आत्मज प्रहलाद जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा कोटा

3.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

4.राजेश कुमार चौबदार आत्मज श्री रामप्रसाद जाति मेघवाल निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थी।

मिसल नम्बर–67 / 2001 (कन्सोलिडेट)

1.दीनदयाल आत्मज प्रहलाद जाति मेघवाल

2.दयाशंकर आत्मज प्रहलाद जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.मदनलाल आत्मज गोपाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

2.राजेश कुमार चौबदार आत्मज श्री रामप्रसाद जाति मेघवाल निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

3.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

–:निर्णय:–

(राजस्थान भू–राजस्वअधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थनापत्र।)

दिनांक 07/11/24

उपस्थिति:–

1.श्री तेजमल जैन अधिवक्ता मदनलाल।

2.श्री अनुराग गुप्ता अधिवक्ता दीनदयाल एवं दयाशंकर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

3.श्री लोकेश सैनी अधिवक्ता राजेश कुमार चौबदार
2.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी मदनलाल के पिता गोपाल एवं रामनारायण जी सगे भाई थे दोनों भाईयो की ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में काश्तकारी की भूमि थी जिसका लगभग 35 वर्ष पूर्व बंटवारा हो चुका था। प्रार्थना पत्र में आगे कथन किया गया कि अन्य भूमियो के अतिरिक्त गोपाल जी एवं रामनारायण के सेटलमेंट से पूर्व ख०नं० 274 एवं 270 की भूमियां भी थी खसरा नम्बर 274 का रकबा ज्यादा था तथा खसरा नम्बर 270 का रकबा कृछ कम था इसलिये दोनों भाईयो को वक्त बंटवारा ख०नं0 270 गोपाल जी को मिली तथा खवनं0 274 का एक हिस्सा 415/274 की 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि गोपाल जी को दी गई और ख०न0 274 की शेष भूमि रामनारायण को दी गई। सेटलमेंट के पूर्व अन्य भूमियो के अलावा ख०नं0 270 की 18 बीघा 12 बिस्वा एवं खवनं0 415/274 की 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि गोपाल जी के खाते में थी तथा ख०नं0 274 की 21 बीघा बिस्वा भुमि रामनारायण जी के खाते में थी सेटलमेंट विभाग ने खवनं0 274 के नये नम्बर 248, 249 एवं 265/515 बनाये और उन समस्त नम्बरान को रामनारायण के वारिसान प्रतिवादी के खाते दर्ज किया जबकि खवनं0 274 के मिन खसरा नम्बर 415/274 का कोई अलग से नम्बर नहीं बनाया तथा वस्तुतः ख०नं० 415/274 का नया नम्बर 285/515 होता है जिसे सेटलमेंट विभाग ने गलत तौर पर प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया। अन्त में यह प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सोगरिया की ख०नं0 265/515 की 0.33 है० भूमि प्रतिपक्षीगण के खाते से कम की जाकर प्रार्थीगण के खाते में दर्ज करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। चूंकि प्रकरण 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत रकबा दुरूस्ती का होने एवं रेकार्ड से संबंधित होने से प्रकरण में तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई जिस पर एक रिपोर्ट पटवारी मण्डल सोगरिया द्वारा दिनांक 01.06.2004 को तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात पुनः एक रिपोर्ट दिनांक 23.06.2010 को न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिस पर न्यायालय ने दोनो पक्षो की सहमति से पुनः जांच रिपोर्ट मंगाने हेतु दिनांक 04.03.2022 को आदेश पारित किया जिस पर दिनांक 04.05.2022 को पटवार मण्डल सोगरिया द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई उक्त रिपोर्ट में निम्न तथ्य प्रकट हुयेः–

भू–प्रबंध से पूर्व ख०नव 274 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा एवं ख०नं0 270 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा कुल 42 बीघा 18 बिस्वा भूमि गोपाल पुत्र रामचन्द्र एवं रामनारायण पुत्र रामचन्द्र के नाम दर्जे रिकार्ड थी उक्त भूमि में नामान्तकरण संख्या 56 जो कि एक बन्दोबस् से पूर्व का है से खाते का विभाजन हुआ दोनों सहखातेदारान के बराबर–बराबर भूमि दर्ज हुई जिसमें से गोपाल पूत्र रामचन्द्र के खाते ख०न0 270 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा एवं ख0नं0 415/274 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल 21 बीघा 9 बिस्वा भूमि दर्ज हुई तथा रामनारायण पुत्र रामचन्द्र के खाते ख०नंव 274 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा भूमि दर्ज हुई। भू प्रबंध के पश्चात गोपाल पुत्र रामचन्द्र के खाते खनं0 265 रकबा 3.28 है० भूमि दर्ज हुई तथा रामनारायण के वारिसान के खाते खवनं0 248 रकबा 1.84 है०, ख0न0 249 रकबा 1.22 है० एवं ख०नं0 265/515 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

0.33 है0 कुल 3.39 है० भूमि दर्ज हुई उक्त रिपोर्ट में भूमि की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है जिसके अनुसार ख०नं० 265 रकबा 1.68 है0 का वर्तमान खातेदार मदनलाल पुत्र गोपाल है तथा ख0नं० 248 रकबा 1.84 हैं0, ख0नं0 249 रकबा 1.22 है0 तथा ख0नं0 265/515 रकबा 0.33 है० वर्तमान में दयाशकर, दीनदयाल पुत्रान प्रहलाद के खाते दर्ज है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों खातेदारों की भूमि का रकबा कम हुआ। अगर ख०नं० 265/515 रकबा 0.33 है० प्रार्थी के खाते में दर्ज कर दी जाती है तो प्रार्थी के खाते ज्यादा भूमि हो जाती है एवं प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 के खाते में पूर्व से ही 0.04 है० भूमि कम है इसलिये प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 के खाते 0.37 है0 भूमि कम हो जाती है।

उक्त रिपोर्ट से वर्तमान खातेदारान की स्थिति स्पष्ट होने पर प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत नाम डिलीट करने के प्रार्थना पत्रो को दिनांक 27.09.2024 एवं 30.09.2024 को स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण में से रामप्रसाद, मोहनलाल एवं देव बाई का नाम डिलीट किया गया तथा प्रतिपक्षी क्रम 1 प्रहलाद का नाम डिलीट किया गया तदनुसार संशोधित टाईटल पेश हुआ है।

उभय पक्षकारान में प्रार्थी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई एवं प्रतिपक्षीगण की बहस सुनी। पत्रावली एवं प्रकरण में प्रस्तुत हुई रिपोर्ट का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह जाहिर आता है कि प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 के खाते का रकबा पूर्व अनुसार अधिक नहीं हुआ है बल्कि 0.04 है० कम ही हुआ है, प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि उसका कितना रकबा कम हुआ और वह किसके खाते में दर्ज हआ है, जब प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 के खाते में रकबा अधिक ही नहीं हुआ तो फिर प्रार्थी को प्रतिपक्षी क्रम. 1 व 2 के खाते से कोई कमी रकबा दुरूस्त कराने का अधिकार नहीं है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

प्रकरण संख्या 33/02

बउनवान दीनदयाल बनाम मदनलाल वगैरा

इस प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रतिपक्षीगण अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तृत कर निवेदन किया कि पूर्व में रामनारायण एवं गोपाल के संयुक्त खाते की भूमि ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित रही है। उक्त भूमि का न्यायालय परगना अधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 06.05.1969 से विभाजन करने का निर्णय पारित किया था। उक्त निर्णय में अन्य भूमि के साथ ख०नं 213 की भूमि का भी विभाजन किया गया था जिसके अनुसार ख०नं0 213 की 16 बिस्वा भूमि रानामरायण के खाते में एवं ख०नं० 213 की 16 बिस्वा भूमि गोपाल के खाते में दर्ज करने के आदेश दिये प्रार्थीगण रामनारायण के वारिसान है तथा प्रतिपक्षीगण गोपाल के वारिसान हैं । आगे प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया कि वर्तमान में भू– प्रबंध विभाग ने ख0नं0 213 के नये ख0नं0 183/441 रकबा 0.11 है० एवं ख०नं0 183 रकबा 0.12 है० बनाये है तथा ख०नं0 183/441 प्रार्थीगण के खाते में दर्ज किया है एवं ख०नं0 183 प्रतिपक्षीगण के खाते में दर्ज किया है प्रार्थीगण के खाते में पश्चिम दिशा की ओर की आराजी आयी है जिसे राजस्व नक्शे में पश्चिम की ओर दर्ज किया जाना चाहिये था तथा प्रतिपक्षीगण के खातें में पूर्वी दिशा की आराजी आयी है जिसे प्रतिपक्षीगण के खाते दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु सेटलमेंट विभाग ने ख०नं० 183/441 को नक्शे में पूर्वं दिशा में दर्ज कर दिया तथा ख०नं० 183 को पश्चिम दिशा में दर्ज कर दिया अन्त में निवेदन किया कि सेटलमेंट द्वारा तैयार किये गये

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

नक्शे में ख0नं० 183/441 के स्थान पर ख०्नं० 183 तथा ख०नं0 183 के स्थान पर ख०नंव 183/441 दर्ज किया जावे।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गई। तदूपरान्त इस प्रकरण संख्या 33/02 को प्रकरण संख्या 67/01 मदनलाल बनाम दीनदयाल वगैरा के साथ कन्सोलिडेट किया गया।

प्रकरण में दोनों पक्षों की सहमति से दिनांक 04.03.2022 को आदेश पारित कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई जिस पर पटवार मण्डल सोगरिया द्वारा दिनांक 04.03.2022 को तैयार रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई। रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय परगना अधिकारी द्वारा मि0नं० 567/67 में दिनांक 06.05.1969 को निर्णय पारित कर रामनारायण पुत्र रामचन्द्र एवं गोपाल पुत्र रामचन्द्र के मध्य ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा की भूमि का विभाजन किया गया था। उक्त विभाजन में ख०नं0 213 की 16 बिस्वा भूमि पश्चिम दिशा की रामनारायण को एवं ख0नं0 213 की 16 बिस्वा भूमि गोपाल के खाते दर्ज हुई थी वर्तमान में ख0नं0 213 के नये ख०नं0 183 तथा 183/144 कायम किये गये है गोपाल की भूमि का ख०नं0 183 बना तथा रामनारायण की भूमि का 183/144 बना। भू-प्रबंध के पश्चात ख०नं० 83 रकबा 0.12 है० गोपाल पुत्र रामचन्द्र के खाते दर्ज हुई तथा 183/441 का 0.11 है० भूमि रामनारायण के वारिसान प्रहलाद पुत्र रामनारायण एवं कजोड बेवा रामनारायण के दर्ज हुई वर्तमान में नक्शे में खवनं0 183 पश्चिम दिशा में तथा ख०नं० 183/441 पूर्वी दिशा में दर्ज है। रिपोर्ट में यह भी वर्णित किया है कि वर्तमान में ख0नं0 183 रकबा 0.12 है० भूमि राजेश चोबदार पुत्र रामप्रसाद जाति मेघवाल के खाते दर्ज है तथा ख०नंव 183/441 रकबा 0.11 है० भूमि दयाशंकर पुत्र प्रहलाद 1/2 जाति मेघवाल तथा दीनदयाल पुत्र प्रहलाद 1/2 जाति मेघवाल के खाते दर्ज है।

उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी क्रम 2 लगायत 4 क्रमशः रामप्रसाद, मोहनलाल एवं देवबाई का नाम डिलीट करने तथा राजेश चोबदार का बतौर प्रतिपक्षी पक्षकार बनाने का दिया तथा एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी क्रम 1 प्रहलाद का नाम डिलीट करने का दिया उक्त दोनों प्रार्थना पत्रो को दिनांक 17.09.2024 को स्वीकार किया गया तदुपरान्त प्रकरण में संशोधित टाईटल प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में प्रतिपक्षी क्रम 2 के रूप में संशोधित पक्षकार राजेश कुमार चोबदार की ओर से अधिवक्ता लोकेश कुमार सैनी ने उपस्थित होकर दिनांक 06.07.2023 को जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी एवं पत्रावली का एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज तथा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में परगना अधिकारी कोटा द्वारा वाद संख्या 567/67 बउनवान रामनारायण बनाम गोपाल में पारित निर्णय दिनांक 06.05.1969 की प्रति प्रस्तुत की गई जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त निर्णय में प्रार्थीगण के पूर्वज रामनारायण को ख०नं0 213 की 16 बिस्वा भूमि पश्चिम तरफ की तथा प्रतिपक्षीगण के पूर्वज गोपाल को ख०नं0 213 की 16 बिस्वा भूमि पूर्वी तरफ की प्राप्त हुई थी। पत्रावली में प्राप्त रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि प्रार्थीगण के हिस्से की ख0नं0 213 की 16 बिस्वा भूमि का नया नम्बर 183/441 बनाया है तथा प्रतिपक्षी क्रम 2 के खाते में दर्ज ख०नं0 213 की 16 बिस्वा भूमि का नया नम्बर 183 बनाया है। उक्त रिपोर्ट एवं प्रकरण में प्रस्तुत वर्तमान जमाबंदी की नकल से भी यह प्रमाणित है कि ख०नं० 183/441 रकबा 0.11 है0 भूमि वर्तमान में

उपखण्ड अधिकारी
कोटा
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थीगण के खाते दर्ज है तथा ख0नं0 183 रकबा 0.12 है० भूमि प्रतिपक्षी क्रम 2 के खाते दर्ज है। प्रकरण में नया नक्शा की प्रतिलिपी प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार ख०नं० 183/441 पूर्व दिशा में दर्ज है तथा ख०नं0 183 पश्चिम दिशा में दर्ज है। पक्षकारान के मध्य नक्शे में किये गये इन्द्राज का ही विवाद है समस्त दस्तावेजो एवं रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान नक्शे में ख०न0 183 के स्थान पर खवनं0 183/441 दर्ज होना चाहिये था तथा ख०नं0 183/441 के स्थान पर ख०नं0 183 दर्ज होना चाहिये था। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रकरण संख्या 33/02 प्रार्थना पत्र 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।

प्रकरण संख्या 67/01 बउनवान मदनलाल बनाम दीनदयाल वगैरा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा कन्सोलिडेट प्रकरण संख्या 33/02 बउनवान दीनदयाल बनाम मदनलाल वगैरा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा के वर्तमान नक्शे में ख०न0 183 के स्थान पर ख०नं० 183/441 दर्ज किया जावे तथा ख०नं0 183/441 के स्थान पर ख०नं0 183 दर्ज किया जावे तदनुसार राजस्व नक्शे में दुरूस्ती की जावे एवं तहसीलदार लाडपूरा कोटा को आदेश दिया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा कोटा के नक्शे में दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा